



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
TRANSPORT COMMISSIONER HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त हरियाणा, चंडीगढ़

सेवा में,

सभी सचिव, (नाम से)
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा राज्य।

क्रमांक 54900-920/ए0टी-8/आर0एस0बी0
दिनांक: 24/11/15

विषय:- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेशों/स्लोगनों को परिवहन वाहनों की पिछली तरफ लिखवाने उपरांत विडियोग्राफी करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 500041-61/ए0टी-8/आर0एस0बी0 दिनांक 23.10.2015 के संदर्भ में।

संदर्भित पत्र द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेशों/स्लोगनों को भेजते हुए आपको निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी परिवहन वाहन सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेश/स्लोगन को वाहन के पीछे की तरफ लिखवाए बिना पास ना किया जाए ताकि सड़क सुरक्षा से संबंधित इन संदेशों को राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के सड़क प्रयोगकर्ताओं एवं आम जनता को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागृत किया जा सके ताकि सड़क पर वाहन चलाते समय वे इनका अनुसरण कर सकें।

इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं की जा रही है। इस बारे पुनः अनुरोध है कि आप संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक को निर्देश देने का कष्ट करें कि वह परिवहन वाहनों की पासिंग के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित लिखवाए गए संदेश/स्लोगन की विडियोग्राफी करवाएं ताकि समय-समय पर मुख्यालय द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सके। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र के संबंध में जितने परिवहन वाहनों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेश/स्लोगन लिखवाए गए हैं उनकी सूचना परिवहन वाहन के नंबर व लिखवाए गए संदेश/स्लोगन के साथ प्रत्येक महीने आयोजित की जाने वाली जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की मितिग की कार्यवाही के साथ भेजने का कष्ट करें।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त(सड़क सुरक्षा),
हरियाणा, चंडीगढ़।